GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3263
TO BE ANSWERED ON 05th August, 2022

WELFARE OF EX-SERVICEMEN

3263. SHRI RAMCHARAN BOHRA:
SHRI SUNIL KUMAR MONDAL:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the total current number of Ex-servicemen in the country, State/UT-wise;

(b) the details of schemes being implemented for the welfare, resettlement and rehabilitation of the Ex-servicemen in the country;

(c) whether the Government proposes to provide additional benefits to the Ex-servicemen and if so, the details thereof;

(d) whether the Government proposes to introduce any new scheme/programme for welfare of the Ex-servicemen; and

(e) if so, the details thereof?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a): The number of Ex-Servicemen (ESM) in the country is placed at Annexure-A.

(b): Kendriya Sainik Board implements schemes for welfare and rehabilitation of Ex-Servicemen and their dependents across the country. The details are placed at Annexure- B.

Director General Resettlement (DGR) implements various resettlement schemes. The details are placed at Annexure-C.

(c): 1.The benefit amount of following schemes has been increased in last few years. The details are as follows:-

(i) Marriage grant increased from Rs 16000/- to Rs 50000/- per daughter w.e.f 01 April, 2016.
(ii) Penury grant increased from Rs 1000/- to Rs 4000/- pm wef 01 April, 2017.
(iii) 100 % Disabled Children grant increased from Rs 1000/- to Rs 3000/-pm w.e.f 01 August, 2021.
(iv) Mobility Equipment to disabled ESM increased from Rs 57000/- to Rs 1,00,000/- w.e.f 01 April, 2022.
(v) Orphan Grant to the Children of Ex-servicemen increased from Rs 1000/- pm to Rs. 3000/-pm w.e.f 01 April, 2022.

2. Additional Rs 320 Crores was also allocated during FY 2021-22 to clear backlog cases of Penury, Marriage and Education grants.

(d): No, Sir.

(e): Not applicable

*****

https://www.staffnews.in

ANNEXURE-A REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO.3263 TO BE ANSWERED ON 05.08.2022 REGARDING 'WELFARE OF EX-SERVICEMEN'.

STATE/UT: CENSUS DATA OF ESM AS ON 31 December, 2021

S. No.	State/UT	No. of ESM
1.	Andhra Pradesh	72706
2.	Arunachal Pradesh	623
3.	Assam	38761
4.	Bihar	114383
5.	Chhattisgarh	7202
6.	Goa	2487
7.	Gujarat	31573
8.	Haryana	164773
9.	Himachal Pradesh	123210
10.	Jharkhand	28070
11.	Karnataka	89727
12.	Kerala	179724
13.	Madhya Pradesh	54203
14.	Maharashtra	193503
15.	Manipur	7627
16.	Meghalaya	2843
17.	Mizoram	5955
18.	Nagaland	2940
19.	Odisha	43335
20.	Punjab	339367
21.	Rajasthan	201434
22.	Sikkim	1121
23.	Tamilnadu	127932
24.	Telangana	36721
25.	Tripura	2279
26.	Uttar Pradesh	391040
27.	Uttarakhand	135778
28.	West Bengal	95003
29.	Andaman & Nicobar (UT)	667
30.	Chandigarh (UT)	9991
31.	Dadra Nagar Haveli (UT)	0
32.	Delhi (UT)	61496
33.	Jammu and Kashmir (UT)	71702
34.	Lakshadweep (UT)	0
35.	Leh and Ladakh (UT)	5364
36.	Puducherry (UT)	1792
	Total (INDIA)	2645332

*****

https://www.staffnews.in

ANNEXURE-B REFERRED TO IN REPLY TO PART (b) OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO.3263 TO BE ANSWERED ON 05.08.2022 REGARDING 'WELFARE OF EX-SERVICEMEN'.

DETAILS OF VARIOUS WELFARE SCHEMES PROVIDED TO ESM /WIDOWSAND WAR WIDOWS AND THEIR DEPENDENTS BY KENDRIYA SAINIK BOARD (KSB)

Sr. No.	Grants	Amount(in Rs)
(a)	Penury Grant (65 Yrs and above) (Non-Pensioners upto Hav Rank)	Rs 4,000/-pm(Life time) w.e.f 01 April, 2017
(b)	Education Grant (up to two children) (i) Boys/Girls up to Graduation (ii) Widows for PG (Pensioner/Non Pensioner upto Hav Rank) and up to two children	Rs 1,000/-pm
(c)	Disabled Children Grant (Pensioner/Non-pen upto JCO Rank)	Rs 3,000/-pm
(d)	Daughter's Marriage Grant(up to 02 Daughters) (Pensioner/Non-Pen upto Hav Rank)	Rs 50,000/- *
	Widow Re-Marriage Grant (Pensioner/Non-Pen upto Hav Rank) * If married solemnly on or after 21 April, 2016.	
(e)	Medical Treatment Grant (Non-pensioner upto Hav Rank)	Rs 30,000/- (Max)
(f)	Orphan Grant (Pensioner/Non-pen All Ranks) • Daughters of ex-servicemen till she is married. • One Son of ex-servicemen upto 21 years of age.	Rs 3,000/-PM (wef 01 April, 2022)
(g)	Vocational Trg Grant For Widows (Pensioner/Non-Pen upto Hav Rank)	Rs 20,000/- (One Time)

1. Benefits given from Armed Forces Flag Day Fund under RMEWF :-

2. Serious diseases Grant from AFFD Fund to Non Pensioners ESM of all Ranks:-

(a)	Serious Diseases as listed below: - Angioplasty, Angiography, CABG, Open Heart Surgery, Valve Replacement, Pacemaker Implant, Renal Implant, Prostate Surgery, Joint Replacement and Cerebral Stoke. Other Diseases: Where more than Rs 1.00 Lac has been spent on treatment	75%/90% of total expenditure for officers and PBOR respectively. Up to Rs 1.25 Lac (max)
(b)	Dialysis and Cancer treatment	75%/90% of total expenditure Officer and PBOR respectively Up to a max of Rs 75,000/- per FY only.

3. Modified Scooter Grant. Rs one lakh provided to those ESM, who are disabled after service with a disability of 50% or more and who are not covered under the scheme of AG's Branch of IHQ (Army, Navy & Air Force).

4. Subsidy on Home Loan. KSB Reimburses 50% of interest by way of subsidy on home loan from Bank/public sector institutions for construction of house to war bereaved, war disabled and attributable peace time casualties. Rs 1,00,000/- (Max)

5. Prime Minister's Scholarship Scheme: Total 5500 scholarship are provided to eligible wards based on merit for the entire duration of the courses. The rates of Scholarship are as follows: -

(a) Rs. 2500/- per month for boys.

(b) Rs. 3000/- per month for girls.

6. Financial support to institutions involved in rehabilitation of ESM :-

Sl. No.	Organisation	Quantum of Aid/Grant
(a)	Paraplegic Rehabilitation Centers (i) Kirkee (ii) Mohali	Establishment grant (per annum) (i) Rs 1.20 cr (wef Apr 16) (ii)Rs 10,00,000/- (wef Apr 2015) Rs. 30,000/- per annum per inmate
(b)	All India Gorkha Ex-servicemen welfare association, Dehradun	Rs. 12,00,000/- per annum
(c)	Cheshire Homes (i) Lucknow, Delhi & Dehradun	Rs 15,000/- per annum per inmate
(d)	War Memorial Hostels. There are 36 WMHs which provide shelter to the children of War Widows/War disabled, attributable and non attributable cases.	Rs 1350/- per month

7. Reservation of seats in Medical/Dental Colleges for wards of Defence Personnel as Govt of India Nominee. A total of 37 MBBS seats and 3 seats in BDS courses are allotted by Ministry of Health Family Welfare to KSB for wards of defence personnel as a Government of India nominee.

*****

https://www.staffnews.in

ANNEXURE-C REFERRED TO IN REPLY TO PART (b) OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO.3263 TO BE ANSWERED ON 05.08.2022 REGARDING 'WELFARE OF EX-SERVICEMEN'.

Resettlement of ESM is sought to be achieved through the following by Directorate General Resettlement (DGR) :-

(a) Upgrading their skills by imparting necessary training to prepare them to take on new assignments/jobs and assisting ESM in finding re-employment.

(b) Constant endeavor to provide employment opportunities in Government/Quasi Government/Public Sector Organizations.

(c) Pro-active action to facilitate re-employment of ESM in the Corporate Sector.

(d) Providing jobs through the following schemes for self employment -

(i) Ex-Servicemen (ESM) Coal Loading and Transportation Scheme

(ii) Coal Tipper Attachment Scheme for Widows and Disabled ESM

(iii) Security Agency Scheme

(iv) Scheme for providing Technical Services

(v) Issue of Eligibility Certificate for Allotment of Oil Product Agencies under 8% Quota Scheme

(vi) Management of Company Owned Company Operated (COCO) Outlets

(vii) Allotment of Mother Dairy Milk Booths and Fruit and Vegetable (Safal) Shops

(viii) Management of CNG station by ESM (Officers) in NCR

(ix) Issue of Eligibility Certificate for Allotment of regular LPG distributorship

(x) Issue of Eligibility Certificate for Allotment of Retail Outlet (Petrol & Diesel)

*****

https://www.staffnews.in

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3263
05 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

3263. श्री रामचरण बोहरा :
श्री सुनील कुमार मंडल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूतपूर्व सैनिकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान कुल संख्या कितनी है;
(ख) देश में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(घ) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कोई नई योजना/कार्यक्रम शुरू करने का है ; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) : देश में भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) की संख्या अनुबंध-क पर दी गई है।

(ख) : केंद्रीय सैनिक बोर्ड पूरे देश में भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण और पुनर्वास हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन करता है । इसका ब्यौरा अनुबंध-ख पर दिया गया है। पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) विभिन्न पुनर्वास योजनाओं को कार्यान्वित करता है। ब्यौरा अनुबंध-ग पर दिया गया है।

(ग) : (क) पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित योजनाओं की लाभ राशि में वृद्धि की गई है । ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) दिनांक 01 अप्रैल 2016 से विवाह अनुदान को प्रति पुत्री 16000/-रु. रुपए से बढ़ाकर 50000/-रु. कर दिया गया है।

(ii) दिनांक 01 अप्रैल 2017 से पेन्युरी अनुदान को 1000/- रुपए से बढ़ाकर 4000/-रु. प्रतिमाह कर दिया गया है।

(iii) दिनांक 01 अगस्त 2021 से 100% दिव्यांग बाल अनुदान को 1000/-रु. से बढ़ाकर 3000/-रु. प्रतिमाह कर दिया गया है।

https://www.staffnews.in

(iv) दिनांक 01 अप्रैल 2022 से दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों हेतु मोबिलिटी उपकरण राशि 57000/-रु. से बढ़ाकर 1,00,000/-रु. कर दी गयी है।

(v) दिनांक 01 अप्रैल 2022 से भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को प्रदान किया जाने वाला अनाथ अनुदान 1000/-रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000/-रु. कर दिया गया है।

(ख) पेन्युरी, विवाह और शिक्षा अनुदानों के पिछले मामलों के निपटान के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अतिरिक्त 320 करोड़ रुपए भी आबंटित किए गए थे।

(घ) : जी, नहीं।

(ङ) : लागू नहीं।

https://www.staffnews.in

''भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण'' के बारे में लोक सभा में दिनांक 05 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3263 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-क

राज्य/संघशासित क्षेत्र : 31 दिसम्बर, 2021 तक भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	72706
2.	अरुणाचल प्रदेश	623
3.	असम	38761
4.	बिहार	114383
5.	छत्तीसगढ़	7202
6.	गोवा	2487
7.	गुजरात	31573
8.	हरियाणा	164773
9.	हिमाचल प्रदेश	123210
10.	झारखंड	28070
11.	कर्नाटक	89727
12.	केरल	179724
13.	मध्य प्रदेश	54203
14.	महाराष्ट्र	193503
15.	मणिपुर	7627
16.	मेघालय	2843
17.	मिजोरम	5955
18.	नागालैंड	2940
19.	ओडिशा	43335
20.	पंजाब	339367
21.	राजस्थान	201434
22.	सिक्किम	1121
23.	तमिलनाडू	127932
24.	तेलंगाना	36721
25.	त्रिपुरा	2279
26.	उत्तर प्रदेश	391040
27.	उत्तराखंड	135778
28.	पश्चिम बंगाल	95003
29.	अंडमान एवं निकोबार (यूटी)	667
30.	चंडीगढ़ (यूटी)	9991

https://www.staffnews.in

31.	दादरा नगर हवेली (यूटी)	0
32.	दिल्ली (यूटी)	61496
33.	जम्मू तथा कश्मीर (यूटी)	71702
34.	लक्षद्वीप (यूटी)	0
35.	लेह् तथा लद्दाख	5364
36.	पुदुचेरी (यूटी)	1792
	कुल (भारत)	**2645332**

https://www.staffnews.in

''भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण'' के बारे में लोक सभा में दिनांक 05 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3263 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-ख

केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) द्वारा भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं और शहीदों की विधवाओं और उनके आश्रितों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का विवरण

1. आरएमईडब्ल्यूएफ के तहत सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि में से दिए जाने वाले लाभ :-

क्र.सं.	अनुदान	राशि (रुपए में)
(क)	**पेन्युरी अनुदान (65 वर्ष और उसके ऊपर)** (हवलदार रैंक तक के गैर-पेंशनर)	4,000/-रु. प्रतिमाह (आजीवन) 01 अप्रैल 17 से प्रभावी
(ख)	**शिक्षा अनुदान (दो बच्चों तक)** (i) लड़का/लड़की को स्नातक तक (ii) परास्नातक तक विधवाओं हेतु (हवलदार रैंक तक के पेंशनर/गैर-पेंशनर) और दो बच्चों तक	1,000/-रु. प्रतिमाह
(ग)	**दिव्यांग बाल अनुदान** (जेसीओ रैंक तक के पेंशनर/गैर-पेंशनर)	3,000/-रु. प्रतिमाह
(घ)	**पुत्री के विवाह हेतु अनुदान** (02 पुत्रियों तक) (हवलदार रैंक तक के पेंशनर/गैर-पेंशनर)	50,000/-रु.*
	विधवा पुनर्विवाह अनुदान (हवलदार रैंक तक के पेंशनर/गैर-पेंशनर) *यदि केवल दिनांक 21 अप्रैल 16 को या उसके बाद ही विवाहित	
(ङ)	**चिकित्सा उपचार अनुदान** (हवलदार रैंक तक के पेंशनर/गैर-पेंशनर)	30,000/-रु. (अधिकतम)
(च)	**अनाथ अनुदान** (सभी रैंकों के पेंशनर/गैर-पेंशनर) • भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों को विवाह होने तक। • भूतपूर्व सैनिकों के एक पुत्र को 21 वर्ष की आयु तक ।	3,000/-रु. प्रतिमाह (01 अप्रैल 2022 से प्रभावी)
(छ)	**विधवाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान** (हवलदार रैंक तक के पेंशनर/गैर-पेंशनर)	20,000/-रु. (एकबारगी)

2. **सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों को एएफएफडी कोष से गंभीर रोग अनुदान:-**

https://www.staffnews.in

(क)	निम्नानुसार सूचीबद्ध किए गए गंभीर रोग:- एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, सीएबीजी, ओपन हार्ट सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, पेसमेकर इंप्लांट, रीनल इंप्लांट, प्रोस्टेट सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और सेरेब्रल स्ट्रोक अन्य रोग: जहां उपचार पर 1.00 लाख रुपए से अधिक खर्च किए गए हों।	**अधिकारियों और पीबीओआर के लिए कुल व्यय का क्रमशः 75%/90%। 1.25 लाख रुपए तक (अधिकतम)**
(ख)	डायलिसिस और कैंसर उपचार	**अधिकारियों और पीबीओआर के लिए कुल व्यय का क्रमशः 75%/90%। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम केवल 75,000/-रु. तक**

3. **<u>संशोधित स्कूटर अनुदान</u>** - एक लाख रूपए उन भूतपूर्व सैनिको को प्रदान किए गए, जो सेवा के पश्चात् 50% या अधिक की दिव्यांगता के साथ दिव्यांग श्रेणी में आते हैं और जो एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना और वायुसेना) की एजी शाखा की योजना के तहत कवर नहीं होते हैं।

4. **<u>आवास ऋण पर सहायता राशि</u>** - युद्ध दिवंगत, युद्ध दिव्यांगों और शांतिकाल के दौरान हताहतों को गृह निर्माण के लिए बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र संस्थानों से लिए गए आवास ऋण पर सहायता राशि प्रदान करते हुए 50% ब्याज का पुनर्भुगतान केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा किया जाता है। 1,00,000/- रुपए (अधिकतम) ।

5. **<u>प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना</u>** - पाठ्यक्रमों की संपूर्ण अवधि के दौरान पात्र बच्चों को मेरिट पर आधारित कुल 5500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं:-

(क) लड़कों के लिए 2500/-रु. प्रतिमाह।

(ख) लड़कियों के लिए 3000/-रु. प्रतिमाह।

6. **<u>भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास में सम्मिलित संस्थानों को वित्तीय सहायता:-</u>**

क्र.सं.	संगठन	सहायता/अनुदान की मात्रा	
(क)	**<u>पैराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र</u>** (i) किरकी (ii) मोहाली	**<u>स्थापना अनुदान (प्रतिवर्ष)</u>** (i) 1.20 करोड़ रुपए (अप्रैल 16 से प्रभावी) (ii) 10,00,000/-रु. (अप्रैल 15 से प्रभावी)	30,000/-रु. प्रतिवर्ष प्रति निवासी
(ख)	अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन, देहरादून	12,00,000/-रु. प्रतिवर्ष	

(ग)	<u>चेशर होम्स</u> (i) लखनऊ, दिल्ली और देहरादून	15,000/-रु. प्रतिवर्ष प्रति निवासी
(घ)	<u>युद्ध स्मारक हॉस्टल</u> 36 युद्ध स्मारक हॉस्टल हैं जो कि शहीदों की विधवाओं/युद्ध दिव्यांगों के बच्चों, संबद्ध और गैर संबद्ध मामलों में आश्रय प्रदान करते हैं।	1350/-रु. प्रतिमाह

7. <u>**भारत सरकार के नामिति के तौर पर रक्षा कार्मिकों के बच्चों हेतु चिकित्सा/दंत चिकित्सा कालेजों में सीटों का आरक्षण:-**</u> स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भारत सरकार के नामिति के तौर पर रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए कुल 37 एमबीबीएस सीटें और बीडीएस पाठ्यक्रम की 3 सीटें आबंटित की गई हैं ।

https://www.staffnews.in

''भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण'' के बारे में लोक सभा में दिनांक 05 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3263 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-ग

पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) के द्वारा निम्नलिखित के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना अपेक्षित है:-

(क) नए कामकाज/कार्यों को करने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके भूतपूर्व सैनिकों के कौशल का उन्नयन करना और पुनः नियोजन को तलाशने में भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करना।

(ख) सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करना।

(ग) कारपोरेट क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः नियोजन की सुविधा के लिए सक्रिय कार्रवाई करना।

(घ) स्व रोजगार के लिए निम्नलिखित योजनाँ के माध्यम से नौकरियां प्रदान करना:-

(i) भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) कोयला लदान और परिवहन योजना
(ii) विधवाओं और दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोयला टिप्पर अटैचमेंट योजना
(iii) सुरक्षा एजेंसी योजना
(iv) तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए योजना
(v) 8% कोटा योजना के तहत तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करना
(vi) कंपनी स्वामित्व वाले कंपनी संचालित (कोको) बिक्री केंद्र प्रबंधन
(vii) मदर डेयरी के मिल्क बूथ और फल व सब्जी (सफल) दुकानों का आबंटन
(viii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में भूतपूर्व सैनिकों (अधिकारियों) के द्वारा सीएनजी स्टेशन का प्रबंधन
(ix) नियमित एलपीजी वितरण अधिकार का आबंटन करने के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करना
(x) खुदरा बिक्री केंद्र (पेट्रोल और डीज़ल) के आबंटन के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करना।

*****

https://www.staffnews.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3333
TO BE ANSWERED ON 05th August, 2022

ASSISTANCE TO EX-SERVICEMEN

3333. SHRI ASHOK MAHADEORAO NETE:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the financial assistance provided by the Government for implementation of the schemes for Welfare and Rehabilitation of Ex-servicemen;

(b) the main activities of KendriyaSainik Board and the manner in which the said Board is beneficial for ex-servicemen and their families; and

(c) the details of efforts made towards making the grievance redressal mechanism effective and speedy for redressal of grievances of ex-servicemen?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a): KendriyaSainik Board(KSB) and Directorate General of Resettlement (DGR) are implementing agencies of schemes for welfare and rehabilitation of Ex-Servicemen respectively. The details of Financial assistance provided by the Government to KendriyaSainik Board (KSB) and Directorate General of Resettlement (DGR) during last three years are as under:-

FY:	2020-21 (Actual expenditure)	2021-22 (Actual expenditure)	2022-23 (Budget Allotment)
KSB	Rs. 234 Cr	Rs. 420 Cr	Rs. 150 Cr
DGR	Rs. 6.58 Cr	Rs.6.7 Cr	Rs. 20 Cr

(b): KSB administers Armed Forces Flag Day Fund(AFFDF) and its related welfare schemes like RakshaMantri Ex-Servicemen Welfare Fund (RMEWF). Besides guiding, monitoring, coordinating, providing budgetary support to various RajyaSainik Boards and ZilaSainik Boards across the country, the KSB also conducts meeting with the various States and stakeholders for improving the lives of Ex-servicemen. The Board is beneficial to the Ex-servicemen as it the nodal and apex body for welfare of Ex-servicemen throughout the country which is headed by Hon’ble RM.

….2/-

https://www.staffnews.in

(c): The Department of Ex-Servicemen Welfare has extended the online grievance redressal mechanism (CPGRAMS/CPENGRAMS) to ex-servicemen also so that the grievances of Ex-Servicemen can be redressed efficiently and in a time bound manners. The link of CPGRAMS/CPENGRAMS website has also been given in the website of Department of Ex-Servicemen Welfare, CGDA and all Pension Sanctioning Authorities so that Ex-Servicemen can lodge their grievances on any websites from their home by clicking on the pgportal.gov.in.

Further, a dedicated portal (Raksha Pension ShikayatNivaran Portal) for redressal of pension grievances of Ex-Servicemen (ESM) has been launched on 14th January, 2022. A Toll-free number has also been made operational in order to facilitate the ESM pensioner for smooth redressal of their grievance.

Interactive Voice Response Systems (IVRS) has been establish and operational as an interactive Toll Free Phone Number manned by Call Centre Executives in KSB Sectt.

The names of all RSBs have been included on NIC portal and CPGRAMS portal for speedy disposal of RTI cases and disposal of online grievances received in PG Portal. Case in progress for inclusion of all service Record Offices in the list of addressee on NIC portal.

*****

https://www.staffnews.in

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3333
05 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

भूतपूर्व सैनिकों को सहायता

3333. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता क्या है;

(ख) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के मुख्य कार्यकलाप क्या हैं और उक्त बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए किस प्रकार लाभकारी है; और

(ग) भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी और त्वरित बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क): भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए क्रमशः केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) और पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) योजनाओं की कार्यान्वयनकारी एजेंसियां हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) और पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) को मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत हैः-

वित्त वर्षः	2020-21 (वास्तविक व्यय)	2021-22 (वास्तविक व्यय)	2022-23 (बजट आबंटन)
केएसबी	234 करोड़ रु.	420 करोड़ रु.	150 करोड़ रु.
डीजीआर	6.58 करोड़ रु.	6.7 करोड़ रु.	20 करोड़ रु.

(ख): केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि (एएफएफडीएफ) और इससे संबंधी रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि (आरएमईडब्ल्यूएफ) जैसी कल्याणकारी योजनाओं का प्रबंधन करता है। देश भर में स्थित विभिन्न राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों का मार्गदर्शन करने, मॉनीटर करने, समन्वय करने एवं उनको बजटीय सहायता प्रदान करने के अलावा, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) भूतपूर्व सैनिकों के जीवन में सुधार लाने हेतु विभिन्न राज्यों और हितधारकों के साथ बैठकें भी आयोजित करता है। उक्त बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह माननीय रक्षा मत्री की अध्यक्षता में देश भर के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु नोडल और शीर्ष निकाय है।

(ग): भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र (सीपीग्राम्स/सीपीईएनजीआरएएमएस) भूतपूर्व सैनिकों तक भी पहुंचा दिया है ताकि भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों का कुशलतापूर्वक और समयबद्ध रूप में निवारण किया जा सके। सीपीग्राम्स/सीपीईएनजीआरएएमएस वेबसाइट का लिंक भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा लेखा महानियंत्रक और सभी पेंशन स्वीकृति कर्ता प्राधिकरणों की वेबसाइट पर भी दिया गया है ताकि

https://www.staffnews.in

भूतपूर्व सैनिक अपने घर से pgportal.gov.in पर क्लिक करके किसी वेबसाइट पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें।

इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) की पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित पोर्टल (रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल) का शुभारंभ 14 जनवरी, 2022 को किया गया है। भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों की शिकायत के शीघ्र निपटान हेतु उनको सुविधा प्रदान करने के लिए एक टॉल फ्री नम्बर भी आरंभ किया गया है।

इंटरएक्टिव वॉयस रेस्पोंस सिस्टम (आईवीआरएस) स्थापित किया गया है और यह केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) सचिवालय में कॉल सेंटर कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित इंटरएक्टिव टोल फ्री नम्बर के रूप में कार्यरत है।

पीजी पोर्टल पर प्राप्त हुए आरटीआई मामलों के त्वरित निवारण और आनलाइन शिकायतों के निपटान हेतु सभी राज्य सैनिक बोर्डों के नाम एनआईसी पोर्टल और सीपीग्राम्स पोर्टल पर सम्मिलित किए गए हैं। एनआईसी पोर्टल पर प्रेषिती की सूची में सभी सेना अभिलेख कार्यालयों को सम्मिलित करने संबंधी कार्य प्रगति पर है।

*****

https://www.staffnews.in